

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸ਼ਂ. 486] No. 486] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 26, 2019/भाद्र 4, 1941

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 26, 2019/BHADRA 4, 1941

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2019

सा.का.िन. 599(अ).—कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) नियम, 1950 का और संशोधन करने के लिए कितपय नियमों को अंतर्विष्ट करने वाला प्रारुप कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 95 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सा.का.िन. संख्यांक 446(अ), तारीख 24 जून, 2019 द्वारा उन सभी व्यक्तियों, जिनकी इससे प्रभावित होने की संभावना है, से उस तारीख जिसको उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रकाशित प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थी, से 30 दिन की अवधि की समाप्ति से पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए, प्रकाशित किया गया था;

और, उक्त प्रारुप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से केंद्रीय सरकार द्वारा विचार करने के लिए उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई सुझाव या आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं;

अत: अब, केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श करने के पश्चात्, कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) नियम, 1950 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:—

- 1. (1) इन नियमों को कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय), संशोधन नियमावली, 2019 कहा जाए।
 - (2) ये सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- 2. कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियमावली, 1950, के नियम 61-क में शब्द "पांच हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "नौ हजार रूपये" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. एस-38012/03/2010-एसएस-I (पार्ट I)]

विभा भल्ला, संयुक्त सचिव

4393 GI/2019 (1)

टिप्पणी: मूल नियमावली को भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में दिनांक 22 जून, 1950 की अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 212 द्वारा प्रकाशित किया गया था तथा अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 423(अ), दिनांक 13 जून, 2019 द्वारा पिछला संशोधन किया गया।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 2019

G.S.R. 599(E).—Whereas, a draft containing certain rules further to amend the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i) vide number G.S.R.446(E), dated the 24th June, 2019 as required by sub-section (1) of section 95 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification was published were made available to public;

And whereas, no objection or suggestion has been received from any person in respect of the said draft rules within the period specified above for consideration by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 95 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government, after consultation with the Employees' State Insurance Corporation, hereby makes the following rules further to amend the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, namely:----

- 1. (1) These rules may be called the Employees' State Insurance (Central) Amendment Rules, 2019.
 - (2) They shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, in rule 61-A, for the words "five thousand rupees", the words "nine thousand rupees" shall be substituted.

[F. No. S-38012/03/2010-SS-I (Pt.I)]

VIBHA BHALLA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* notification number S.R.O. 212, dated the 22nd June, 1950 and last amended *vide* notification Number G.S.R. 423(E), dated the 13th June, 2019.